सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27-12-17

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उप० नहीं। प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र व जवाब प्र०पत्र का अवलोकन किया जाकर अप्रार्थीगण की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 नियम 2010 के तहत पेश कर अपने प्रार्थना पत्र में अपनी पुत्रवधुओं को अप्रार्थी सं० व 2 बनाया है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य नहीं है। नियमानुसार भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र उन्हीं पक्षकारों के खिलाफ पेश किया जा सकता है जिनको प्रार्थी/प्रार्थीगण की सम्पत्ति में दायभाग प्राप्त होता हो जबकि इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्रों, जो कि प्रार्थीगण की सम्पत्ति में से दायभाग प्राप्त करने के प्रथम अधिकारी हैं, के खिलाफ पेश नहीं कर अपनी पुत्रवधुओं के खिलाफ पेश किया है जो कि प्रार्थीगण की सम्पत्ति में दायभाग प्रार्थीगण के पुत्रों के मौजूद रहते प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के खिलाफ भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के तहत नियमानुसार कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सैनिक बस्ती, बूंदी के सेक्टर-1 सी-15 में बने मकान व उसमें रखे सामान का कब्जा खाली करवा कर पुनः प्रवेश दिलवाने व विरुद्धपक्ष से भैंसें व सामान दिलवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा अनुतोष इस धारा 5 में कवर नहीं होता है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर पेश प्रार्थना पत्र विधिसम्मत नहीं होने एवं चाहा गया अनुतोष उक्त अधिनियम के तहत कवर नहीं होने अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)